तमक:- माननीय राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर

रामावतार राम तनयश्री रामनिन्दमणिराम निवासी ग्राम धवैया तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0--- --- आवेदक

वनाम

म0प्र0 शासन -- अना0

26

आयुक्त संभाग रीवा संभाग रीवा के पुनरीक्षण प्र0क्र0 80/91-92 मे पारित आदेश दि0 13-7-93 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदनपत्र।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 (1959ई0)

माननीयवर,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्नांकित हैं:-

(1) यहकि आदेश कमिश्नर रीवा संभाग रीवा एवं कलेक्टर रीवा अनुचित अनियमित एवं अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि कमिश्नर सा0 द्वारा प्रकरण मे आई हुई साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय मे नही की गई है। रामनिहोर जो किसी अन्य मौजा मढ़ी खुर्द का निवासी है और उसका आवेदक को व्यवस्थापित की गई भूमि से कोई संबंध नही है। किन्तु आयुक्त महोदय ने उसके मामले और आवेदक के मामले मे निहित विधिक बिन्दु समान मानने मे भूल की है जबकि तथ्य व विधि के प्रश्न आवेदक के मामले मे और उक्त रामनिहोर के मामले मे भिन्न भिन्न थे। जिससे आदेश अनुचित और अवैधानिक है।

(3) यहकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त परिस्थिति मे आवेदक के मामले मे और रामनिहोर के मामले मे अलग-अलग निर्णय पारित करना चाहिए था। किन्तु उन्होने एक साथ एक जैसा मानकर दोनो प्रकरणों का निराकरण करने मे भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0747/93 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 80/निग0/91–92 में पारित आदेश दिनांक 13.07.93 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य पृथक से कितनी–कितनी भूमि धार रकते है, बिना जांच किये आवेदकों को भूमिस्वामी घोषित किये जाने के आधार पर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाना आदेशित किया है । अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अधिनियम के प्रावधान भूमिहीन व्यक्तियों को भी लागू किये गये है । अधिनियम की धारा 7(ए) में भूमिहीन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि भूमिहीन से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो उसके अपरिवार के अन्य	

सदस्यों के साथ चाहे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करता है। नियम 3(2) के स्पष्टीकरण में "परिवार" को इस प्रकारण परिभाषित किया गया है कि परिवार में स्त्री, पुरूष, बच्चे, मॉ–बाप और अन्य कोई आश्रित व्यक्ति शामिल माना जावेगा । इस तरह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के पूर्व उसकी पात्रता सम्बन्धी जांच आवश्यक है। किसी भूमिहीन व्यक्ति को तभी प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया जा सकता है जब वह उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करता हो । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित करने के पूर्व ऐसी जांच करना आवश्यक था एवं उसके पश्चात ही भूमिस्वामी घोषित किया जाना आदेशित करना था । जहॉ तक आवेदक के अधिवक्ता के तर्क है कि कलेक्टर को मामला आगे जांच पड़ताल के लिये तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिये था । औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि कलेक्टर रीवा ने अपने विचाराधीन आदेश में यह स्पष्ट आदेशित किया है कि इस बात की जांच नहीं की गई कि आवेदक स्वतः तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कितनी भूमि धारण करता है । यदि आवेदक स्वतः एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण करता था तो इस न्यायालय में ऐसा स्पष्ट कथन चाहिये था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है । इसलिये यही

माना जावेगा कि आवेदक स्वयं एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दो हेक्टेयर से कम भूमि धारण नहीं करता । इस कारण प्रकरण को आगे जांच पड़ताल के लिये प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं रहा है । नियमों का पालन अनिवार्यतः किया गया चाहिये । पात्रता का बिन्दु एवं कार्यवाही बिन्दु है एवं बिना पात्रता की जांच किये आवेदक को भूमिस्वामी घोषित कियां जाना विधि अनुकूल नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर रीवा ने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है और अपर आयुक्त रीवा ने कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

4/ फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है और अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1993 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य